भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 113

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक बचत की सुरक्षा के लिए एसबीआई द्वारा उठाए गए कदम

113. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2 जुलाई, 2025 के "द हिंदू" में प्रकाशित समाचार "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) क्लासिफाइड अनिल अंबानी-लेड रिलाइंस कम्युनिकेशंस लोन अकाउंट एज़ फ्रॉड" का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) मामले में कुल कितनी राशि का ऋण शामिल है; और

(घ) इसके कारण हुई सार्वजनिक बचत की हानि की सुरक्षा के लिए एसबीआई द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): जी, हाँ। एसबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन पर बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार दिनांक 13.06.2025 को प्रवर्तक निदेशक श्री अनिल डी अंबानी के साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आर कॉम) को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके अलावा, दिनांक 01.07.2025 को, प्रकटीकरण अनुपालन के हिस्से के रूप में, आरकॉम के समाधान पेशेवर ने बैंक द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण के संबंध में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है।

एसबीआई द्वारा दिनांक 26.08.2016 से उपर्युक्त खाते में ऋण एक्सपोजर में अर्जित ब्याज और व्यय के साथ 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि आधारित बकाया मूलधन और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी शामिल है।

आरकॉम दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित किया गया था और दिनांक 06.03.2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में दायर किया गया था और एनसीएलटी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

बैंक ने आईबीसी के अंतर्गत श्री अनिल डी अंबानी के विरुद्ध व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया भी शुरू की है और एनसीएलटी, मुंबई द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है।

बैंक ने इससे पहले दिनांक 10.11.2020 को खाते और प्रवर्तक श्री अनिल डी अंबानी को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया था और दिनांक 05.01.2021 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज करायी थी। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 06.01.2021 के "यथा स्थिति" आदेश के मद्देनजर शिकायत वापस कर दी गई थी।

इस बीच, वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 7300-7307 (भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27.03.2023 के अपने निर्णय में यह अधिदेशित किया है कि ऋणदाता उधारकर्ताओं के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करें। तदनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 02.09.2023 को खाते में धोखाधड़ी वर्गीकरण को पलट दिया गया था।

धोखाधड़ी वर्गीकरण प्रक्रिया को फिर से चलाया गया और आरबीआई के दिनांक 15.07.2024 के परिपत्र के अनुसार नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद खाते को फिर से "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया गया।

दिनांक 24.06.2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी है और सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी है।

*****